मैजोरिटी कितनी मुश्किल होती है।

Now, if you are going to bring the appointment of a Lokpal itself into two-third majority besiness, I know that you will never be able to find a suitable Lokpal for all of us.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Various options have been given.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I do not think, therefore, that there is one kind of a formula which can be produced today and it can be said: "This is the ideal formula. You pass it. You do it and it will work." I had said this in my reply to a debate which was held when I replied on 2nd August, 1994. Sir, it has been said that we held a debate when nobody was in the House. I want to say that for that debate on the Lokpal the Business Advisory Committee had given time and date and we all had agreed. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The time allotted for the Private Members' Business has been exhausted.

SMT. MARGARET ALVA: Let me finish. I have no problem. I am just concluding with one sentence. What I am saying is that, in keeping with the commitment we had made, I have addressed letters to the leaders of all the political parties and the whips in Parliament, enclosing all the former draft Bills and the reports of the Joint Select Committees, and requested them to send us their comments and their reactions and after I receive their replies, we would have a meeting of all the leaders together, to work out a consensus because the Prime Minister himself in this House has offered that he is prepared to submit himself to the jurisdiction of the Lokpal. This was the announcement which he made himself. He has committed himself. So, what I am saying is that we are also interested and we want a consensus. We have written to all the parties to send us their suggestions in writing so that after there is a follow-up, we can have a meeting of the political parties and work out a consensus which can come to Parliament. Thank you.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह जो वन-बी तक है, बाकी के हिस्से को खान साहब से विदड्रा करने की दरख्वास्त करें और गवर्नमेंट वन-बी तक इस रेज़ोल्यूशन को तसलीम करे, माने।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपको मालूम होना चाहिए इस हाउस का सैंस लेते है।... **(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त : इसमें आब्जैक्शन करने की कोई चीज़ नहीं है।... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): नहीं, आब्जैक्शन की बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... प्राइवेट मैम्बर्स का जो यह मामला था ...**(व्यवधान)**...

That matter stands closed. Now, we have Special Mentions. The time allotted for the Private Member's Business has been exhausted. Shri Virendra Kataria. *(Interruptions)*

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: You have to take the sense of the House. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Mohd. Salim): You see, the time fixed for the Private Members' Business has already been exhausted. Shri Virendra Kataria.

RE. DEATHS DUE TO BLAST IN A CRACKER FACTORY AT ROHTAK.

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब): वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस सब्जैक्ट पर बोलने का मौका दिया। कल के अखबारों में यह छपा है कि रोहतक में एक आतिशबाज़ी की फैक्टरी में आग लगने से 23 लोग मारे गए हैं, जिनमें 13 औरतें और 6 बच्चे भी शामिल हैं। यह बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक वाक्या है। दर्दनाक इसलिए है कि इतने लोग जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, लापरवाही से मारे गए हैं और अफसोसनाक इसलिए कि आज हमारे

मुल्क में पेट भरने के लिए रोटी कमाने के लिए दूर-दराज़ से लोग, तामिलनाडु से लोग अपने घर-बार छोड़ कर आते हैं। और बेमौत मारे जाते हैं। तो आज फिर चाइल्ड लेबर का सवाल खड़ा हो गया है। जानकार हल्कों के मुताबिक कम-से-कम 50 लोग इस हादसे में मारे गए हैं, 14 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें कि एक बच्चा रोहतक मेडिकल कॉलेज में मौत से जूझ रहा है।

इस फैक्ट्री में बहुत सी औरतें और बच्चे "लो-वेजेज" पर इम्प्लाय किए गए। यह फैक्ट्री एक रेसीडेंशियल एरिया में वाकै है। घटना के बाद फैक्ट्री के मालिक को इंडस्ट्रीज सेफ्टी रूल्स वायलेशन के लिए मुताल्लका महकमे के डायरेक्टर ने नोटिस दिया, लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आग एक टेस्ट के दौरान लगी जो कि फैक्ट्री से बाहर होना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्री के अंदर ही यह टेस्ट किया गया। फैक्ट्री के नजदीक रह रहे एक कॉलेज विद्यार्थी का कहना है कि मालिक फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर बंदकर ताला लगा देता था ताकि वे कोई क्रैकर्स या मैटेरियल बाहर न ले जा सकें। उस दिन भी फैक्ट्री में बाहर से लॉक लगा दिया गया था, इस वजह से वर्कर्स को एस्केप करने में बहुत मुश्किल हुई और यह तकरीबन नामुमकिन हुआ। बारह साल का एक लड़का मोहन 90 परसेंट बर्न होकर जख्मी पड़ा हुआ है। हजारों बच्चे स्टोन क्वारीज़ में, ब्रिक क्लिन में, मेटल इंडस्ट्री में ऐक्स्ट्रीमली हैज़ार्डस कंडीशन में काम कर रहे हैं जिसे कि रोका जाना चाहिए।

वाइस चैयरमेन साहब, श्रम मंत्री ने कहा था कि 850 करोड़ रुपये चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन के लिए इयरमार्क किए गए हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रकम डेड चिल्ड्रंस को "ऐक्सग्राशिया" देने के लिए इयरमार्क की गयी है या चाइल्ड लेबर के इरेडिकेशन के लिए इयरमार्क की गयी है? मैं जानना चाहूंगा कि उस 850 करोड़ रुपए का क्या तसर्रूफ आज तक हुआ है?

वाइस चैयरमेन साहब, हरियाणा सरकार ने इस मामले में फौरी कार्यवाही की है और 50-50 हजार रुपए की राशि मृतकों को इमीडिएट ग्रांट दी है और 25-25 हजार की राशि जख्मी होने वालों को दी है। वहां का जो डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन है चाहे बेशक पहले उन्होंने इसे नहीं रोका, लेकिन जब यह वाक्या हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्यवाही की। मैं आपकी खिदमत में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह चाइल्ड लेबर का मसला तीन साल से पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है। कभी तमिलनाडु के बिल्लोर में बच्चों को दो-दो हजार रुपए में गिरवी रखा जाता है और कभी फिरोजाबाद में वे बच्चे और बच्चियां जिन के कि हाथ पीले होने होते हैं, लेकिन 6 साल की उम्र में उन के हाथ काले हो जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बच्चों की जिंदगी के साथ हमारे मुल्क में खिलवाड़ इस तरीके से किस हद तक और कब तक किया जाएगा? मैं आप की मार्फत एक और भी बात जानना चाहता हूं कि बच्चे जोकि हमारी कौम के सरमाया हैं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कि बच्चों का एक्स्प्लायटेशन या बच्चों की मुसीबतें पार्लियामेंट के सामने न आती हों।

वाइस चैयरमेन साहब, पार्लियामेंट हमारी सब से बड़ी पंचायत है और मुल्क की सब से बड़ी इंस्टीट्यूशन है। इस में इतनी दफा कहने के बावजूद मैं अफसोस करता हूं कि हम उनके साथ हमदर्दी व्यक्त करते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, लेकिन मैं आप के मार्फत सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस का इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है? हिन्दस्तान में तीन साल से चिल्लाया जा रहा है कि चाइल्ड लेबर के माध्यम से बच्चों का ऐक्स्प्लायटेशन हो रहा है, लेकिन तीन साल के बाद भी अगर आप चाइल्ड लेबर के आंकड़े देखें तो उन की तादाद आप को कम होने के बजाय बहुत बढ़ी हुई मिलेगी। अगर चाइल्ड ऐक्ट के मुताबिक उनकी वर्किंग कंडीशंस पर हम नजर डालें तो आप को लगेगा कि चाइल्ड लेबर का जो कानून है, वह वायलेट ज्यादा होता है और इम्प्लीमेंट कम होता है। इसलिए मैं आप के मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट का या इस के मेंबर होने का फायदा क्या है जब एक मसले को या एक बात को हम रखते हैं जोकि मुल्क के वायटल इंटरेस्ट से कंसर्न रखता है, मुल्क के फ्यूचर से ताल्लुक रखता है, उन बच्चों से ताल्लुक रखता है जिनके बारे में सभी मानते हैं कि वह हमारा फ्यूचर हैं? इस सब के बावजूद उन की यह दुर्दशा हो रही है और जब भी कोई नया वाकया होता है तो उस में आप एक चीज का कॉमन पाएंगे कि भले ही कोई वाकया हो उस में चाइल्ड लेबर का मसला जुड़ा होता है, चाइल्ड ऐक्स्पलायटेशन जुड़ा होता है। मैं आपकी मार्फत से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा, एक उर्दू का शेर है—

गरीब शहर तो फांकों से मर गया आरिफ।
अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली।।

इस मुल्क में हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चे अपने कुत्तों पर एक सौ रुपए खर्च कर देते हैं और यहां बहुत

से ऐसे बच्चे भी इस मुल्क में हैं जो कि पांच-पांच रुपए के लिए, दस-दस रुपए के लिए काम करते हैं और किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जो दलाल उन बच्चों को काम पर भरती कराने वाले होते हैं, वह बच्चे तो पांच रुपए पाते हैं, दस रुपए पाते हैं और दलाल, जो बच्चों को ले जाते हैं, उनको मुलाजमत दिलाते हैं, उनको एक्सप्लायट करते हैं, वह सौ-सौ रुपया एक चाइल्ड लेबर का लेते हैं। यह जुल्म हमारे मुल्क में कब तक चलता रहेगा?

वायस चेयरमेन साहब, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं और इस बात की तवक्कोह करना चाहता हूं कि बहुत हो गया।

Enough is enough. We must take some stringent steps to stop this. Thank you.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, my colleague, Shrimati Suseela Gopalan, from the other House and myself visited the area in Rohtak yesterday along with two separate delegations. One was led by the trade unions and the other was led by a women's organisation. I have seen the area, visited the factory, and I am convinced that it was not an accident but genocide. I have seen the factory. It is razed to the ground. I am told that the velocity of the explosion was such that it threw up mutilated bodies, parts of bodies, to a height of 100 feet. A boy about the age of 12 was physically thrown up to the height of a tree. He escaped miraculously. That was the velocity and intensity of the explosion. To the best of my conviction, it is a consequence of the criminal act of granting automatically a licence to a factory, which is nothing less than a killing chamber, without any scrutiny or anything.

Mr. Vice-Chairman, the area is about 2,000 square metres. There is only one entrance which is generally kept locked. The other entrance, which is in a corner, is locked after the workers entered into the factory. There are three godowns within this 2,000 square metres for storing explosive. The buildings are constructed within that area. In the open compound women workers and children bind and pack crackers. Testing also takes place in the open compound. The accident took place when conducting a test. The cracker instead of going to the sky came back and got into the piles and they exploded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Jibon Roy, though you are mentioning an important issue, you need not narrate everything. Kindly mention the points. Be brief.

SHRI JIBON ROY: I am not narrating everything. The thing is that it was almost a genocide. Such an incident has never taken place. It was like killing chamber. There was no way for coming out. According to the Explosives Act, emergency doors are to be kept, exit windows are to be kept. Some people, who could save themselves, could do so by scaling the wall and coming out. The State Government has ordered a Megisterial inquiry. What will come out when the antecedents of the district authority itself is under a cloud. There should be a judicial inquiry. Sir, two of the offenders have been arrested under sections 304 IPC and Section 4 & 5 of the Explosives Act. Why are they not charged under section 307 IPC and under the section Attempt to murder?" Therefore, there should be a judicial inquiry into this case.

My second point is, Rs. 50,000 have been given as a compensation. Sir, four full families have been almost wiped out. They were bonded labourers and they were from Tamil Nadu. I met one women. I asked, "Why have you come here from Tamil Nadu?" She said, "To get more wages". They were working for 10 hours a day and getting arround between Rs, 30/- , 50/- wiped out. The Government should take responsibility for their rehabilitation.

Sir, according to the Child Labour (Regulation and Abolition) Act 1986,

child labour cannot be put in hazardous jobs, in factories that manufacture explosives, in factories that manufacture crackers, is it not a hazardous job? Therefore, I would request the Government, through you, to see that in all these cracker factories child labour is abolished and thye are all rehabilitated.

Thank you.

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): जनाब वाइस चेयरमैन सर, यह बात पार्लियामेंट में कोई तीन दिन से चल रही है और देश को आजाद हुए कोई 47 साल हो चुके हैं लेकिन हर साल कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं देखते हैं। आज तो यह हरियाणा की बात है, रोहतक-गुहाना रोड पर यह इंसीडेंट हुआ, इससे पिछले, साल पंजाब में लुधियाना में हुआ था, इसी तरह दो साल पहले एक बार दिल्ली में हुआ और तमिलनाडु में हुआ, हर साल, ऐसे चलता है और क्रेकर बनते हैं। वहां पर यह नहीं देखा जाता कि रेज़िडेंशियल प्लेसेज़ हैं, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि इर्द-गिर्द और कौन सी फैक्टरी है जहां पर यह काम चलता है। अभी जो यह इंसीडेंट रोहतक-गुहाना रोड पर हुआ और उसके बारे में जब मेरे साथी श्री वीरेन्द्र कटारिया और श्री जीवन राय बोल रहे थे, तो मैं यह सोच रहा था कि फिर वही बच्चों का सब्जेक्ट आ गया। मंत्री जी अभी परसों, एक दिन पहले ही जवाब दे रहे थे। जहां आई०एल०ओ० की रिपोर्ट है कि पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ बच्चे लेबर, बॉंडिड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे देश में 5 करोड़ बच्चे यह काम करते हैं लेकिन मंत्री जी का जवाब था कि 17 मिलियन ओनली और उन्होंने इस ढंग से उस जवाब को बांटा हुआ था कि सन् 2000 तक, 21वीं शताब्दी में जब हम पहुंचेंगे तो हम 55,000 बच्चों को इस काम से हटाने में सफल हो पाएंगे। तो मैं तो सोच रहा था कि आई०एल०ओ० भी इतना पैसा दे रहा है, हमारे प्रधान मंत्री ने भी इतना पैसा दिया है लेकिन यह लानत हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तीन-तीन सौ गज तक बच्चे गिर रहे हैं जाकर।

वहां पर मंडिया लग रही हैं। अरब कंट्रीज में इस ढंग से खिलवाड़ किया जा रहा है कि वहां गेंद खेली जाती है। मैं आपको एक इंसीडेंस सुनाना चाहता हूं। एक बार जब मैं कार में जा रहा था तो एक बच्चा मांगने के लिए आया, मार-मार कर उसके हाथ-पैर सूजे हुए थे। मैंने उस बच्चे से पूछा कि वह कहां रहता है तथा उसकी सारी हिस्ट्री पता करली जहां से उसको भेजा गया था। तो मैं वहां गया। वहां एक झुग्गी में एक आदमी रहता था जो बच्चों को उठा कर ले जाता था और उनसे ऐसा काम कराता था। मान्यवर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सदन से मेरी अपील है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमने पौपुलेशन के बारे में बहुत सोचा, लेकिन इस बारे में कोई लॉ काम नहीं कर रहा है। पौपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में हमारा नाम पौपुलेशन में बहुत बढ़ गया है। अगर पौपुलेशन भी बढ़ गई ....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): इकबाल सिंह जी, आप जो बात कह रहे हैं वह सही है। समस्याएं भी बहुत हैं। लेकिन विषय तक ही सीमित रहें जो रोहतक-हरियाणा में फैक्टरी में बम ब्लास्ट हुआ है। वरना बहुत से लोग हैं इस बारे में बोलने के लिए।

श्री इकबाल सिंह: मान्यवर, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं इस बात पर बहुत भावुक हूं। सच बात यह है कि जहां भी देखो बच्चों को काम पर लगाया जाता है, इसमें दलाल काम करते हैं। अभी आपने दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में देखा कि मंत्री जी वहां गए और देखा कि वहां पर तीन सौ बच्चे दलाली के लिए सेल हो रहे हैं काम करने के लिए। जब देश में ऐसा वातावरण है तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं और मेरा ख्याल है कि सारा सदन इस बात पर साथ देगा कि हमें जल्द से जल्द नेशनल कमीशन बनाना चाहिए। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं। मैंने इस बारे में स्पेशल मेंशन भी दिया था, मैंने क्वेश्चन भी दिया और जीरो ऑवर में भी मैं पहले बोल चुका हूं। अब मैं फिर उसी बात को दोहराते हुए कहता हूं कि हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर एक कमीशन बनाना चाहिए और खास तौर से तमिलनाडु और केरल में जो पटाखों की फैक्टरियां हैं, हरियाणा में तो सिर्फ फुलझड़ी बनाने का लाइसेंस था। फुलझड़ी एक छोटी सी होती है। अगर उसमें आग लग जाए तो उससे वहां के रहने वालों को बहुत खतरा है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसके लिए कोई कमीशन बनाइए। अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने वहां पर पचास हजार भी दे दिया, पच्चीस हजार भी दे दिया। जो पैसा प्राईम मिनिस्टर ने दिया है, हमें चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए देना चाहिए, लेकिन उसके लिए नहीं दिया जहां पर मौत हो जाए, जहां पर इतना बड़ा सदमा हो जाए, वहां पर पैसे दिए जाएं। मैं आपसे अपील करता हूं कि यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए।

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): ऑल इंडिया हैंडलूम कांफ्रेंस पांच बजे था। अगर आप परमिट करें तो मैं जाऊं?। सारे ऑल इंडिया से वीवर्स आए हुए हैं अपनी प्रोब्लम को डिस्कस करने के लिए। यदि आप मुझे परमिशन दें तो मैं जाऊं?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the blast that took place in Rohtak has taken a toll which is much more than what has been published in the papers. According to newspaper reports, the number of deaths was 23 out of which 13 were women and six were children. But according to the onlookers, more than 50 people died. They were charred to death. According to the information provided by Mr. Jibon Roy, the bodies were lifted up to 100 feet high because of the blast. I feel, that was not a cracker blast but something else must have been produced there.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: First of all, when this type of hazardous industries are permitted, they are required to adhere to the industrial safety norms. But, in this case, they have not adhered to these norms. An officer has issued a notice one year ago. They have said this. But the same officer who issued the notice did not follow up the notice to ensure that the industry followed the notice. That is a mistake and it lies with that officer. In India, according to the Government estimate, about 41,70,000 children are working. Out of this figure, 20,00,000 children are working in hazardous industries. This is a very important point. Twenty lakh children are working in hazardous factories. These children are working because their families are living below the poverty line. They came all the way from Bigha, all the way from Tamil Nadu, 2,000 kilometres away from this place. All the way they came here to settle down. It shows how much hardship they would have faced before they came to this place. After having come, they are faced with this type of tragedy. This type of tragedies should not take place and should not recur. It has taken place in Punjab. It has taken place also in Tamil Nadu. Shri Iqbal Singh has raised this issue in this august House. If you go through the reply given by the Government, you will find that the Government has quoted many Acts, the Factories Act, the Mines Act, the Child Welfare Act and the 1987 Child Labour Policy, etc. The Government has mentioned all these things in its reply. But, as far as the problem is concerned, I feel that this problem cannot be solved by merely raising the issue now and then in this august House. This problem cannot be solved unless the Government tries to take some concrete action against the erring people. Fortunately, our Prime Minister has expressed shock and grief and immediately Rs. 50,000/- compensation was announced. But in the Railways, Rs. 2 lakhs' compensation is given. I think the compensation announced in this case is a very meagre amount. It is not sufficient to book people, the factory owners, who violate industrial safety norms. The sad part of the thing is that after the labourers enter the factory, this particular owner used to lock the door of the factory because he fears that these labourers may take out certain things and sell them in the market. Had the door been open when the accident took place, some people would have come out of the factory. The labourers were put inside the factory and were locked from outside. We don't know how many factories are doing like this. We don't know the number of cases where this type of practice is going on. We may not know also. It is difficult to find out how many people are doing like this throughout India.

I feel that the Departmental enquiry announced is not all sufficient. A judicial enquiry should be ordered. Only by a judicial enquiry, we will be able to know the exact causes. What I feel is that strictest punishment should be awarded to those people who employ children

below the age of fourteen. I feel that those who appoint children below the age of fourteen years in hazardous industries are not human beings. They should not be treated as human beings. Therefore, I demand that there should be a judicial enquiry. Since the amount of compensation announced is not sufficient, adequate compensation should be paid. Industrial safety norms should be enforced through out India. At least now the Government should wake up and enforce these laws. What the Government says in its replies to questions should be implemented in letter and spirit. Is it does not do so, this type of incidents do occur and we will lose more children. Children are the wealth of the nation. We shall not those our children like this. With a heavy heart and anguish, I say that this is due to the lethargy of the Government officials. In this respect, the Government should take some action to ensure that this type of accidents do not recur.

With these words, I thank you very much, Mr. Vice-Chairman.

श्री रामजी लाल (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं। मैं हरियाणा राज्य से आता हूं और यह घटना रोहतक जिले में हुई है जो कि हरियाणा में है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस इंसीडेंट से हमारे मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल, हमारे भाई और बहन...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप अपनी सहमति व्यक्त कीजिए।

श्री रामजी लाल: सभी मेंबरों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। यह जो दुर्घटना हुई है, इसमें तमिलनाडु से आए हुए लोग, जो वहां अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए आए थे, उन्हें क्या पता था कि बदकिस्मती से ऐसी घटना हो जाएगी और वे इस दुनियां से चले जायेंगे। यह घटना जो हुई यह अचानक हुई है। वह फैक्टरी पिछले 25 सालों से चल रही थी, उसको लाइसेंस मिला हुआ था। जब घटना हुई तो प्रशासन हरकत में आया और उनको हस्पताल ले गए। इस घटना में जो मरे हैं तो मरने वालों को 25 हजार रुपया और जो लोग घायल हुए हैं उनको 10 हजार रुपये दिए जायेंगे। यह ठीक है कि इससे जो इंसान चला जाता है कि उसकी पूर्ति नहीं होती। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो इस पर किसी का वश नहीं होता। इसके लिए इन्क्वायरी बिठाई गई है। वह अपनी जांच करेंगे और जो उसके नतीजे होंगे उन पर ऐक्शन लिया जाएगा। इसमें चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसका फाल्ट होगा तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा। मुझे बड़ा खेद है कि यह घटना हरियाणा में हुई। मैं इस पर अपना खेद प्रकट करते हुए, हमारे अन्य महानुभाव सदस्यों ने जो कहा है, उससे सहमत हूं। लेकिन जब ऐसा होता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri V. Narayanasamy. You just associate yourself, please.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): I associate myself with the issue raised by Shri Virendra Kataria. I would like to say that all the people who have died there, were from Tamil Nadu, especially from Sivakasi where most of the cracker factories are located. The people who came for their livelihood lost their family members. Most of them were children. The hon Labour Minister said that employment of children in such hazardous factories is prohibited. So, it was done in violation of this law. I would like to highlight only one other aspect, Sir Apart from the compensation which the hon. Members have asked for, I request the hon. Chief Minister of Haryana to increase the amount of compensation because the families of those children who have lost their lives, are unable to survive.

The licence issued to the factory was a valid licence. Certain conditions had to be fulfilled and the notice was issued but it was not complied with. The officials did not follow up the matter for the last one year. My point is that the Government should take action against the officers responsible for dereliction of their duty. Apart from the action that has been taken against the owners of the

factory by arresting them, the officers should also be taken to task.

RE: STATEMENT OF CHAIRMAN OF AI AND IAC ON THE POOR STANDARDS OF THE TWO AIRLINES

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, yesterday we were shocked to read in the newspapers the statement given by Mr. Rusy Mody, the Chairman of Air India and Indian Airlines that Air India is one of the worst airlines in the world. This was almost the headline Sir, there are many more reports in the newspapers on the interviews given by the Chairman in Bombay I do not want to read them here because I think it is below the dignity of the House. He questions the existence of our country and the citizens of our country. Now, why I have taken interest in saying this is that there is a motion pending before the Chairman and despite that he has given this interviews to the U.N.I. He was addressing some meeting of the Chamber of Commerce in Delhi. I saw a report of the U.N.I. wherein he questioned the right of Members of Parliament to put questions in the Parliament regarding public sector undertakings. I feel that it is not proper for a gentleman of his status to cast aspersions on Members of Parliament and also on the institution of Parliament. I don't know why the Government is quiet about it. I want the Minister of Civil Aviation to react to it and also to see to it that some action is taken and some discipline is brought in this organisation. We are very proud of our national carrier. I don't know what type of signal this statement is going to give to the world. Any Chairman will see that his product is sold. By this statement, by this utterance, I do not know whether Mr. Mody is working to fulfil the interests of Air India and the Indian Airlines or he is working in some other foreign airlines to put down the airlines of our nation, our national carrier. I hope the Minister will react to it immediately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): As you have said that a privilege motion is pending, you can send it to the Chairman.

SHRI JOHN. F. FERNANDES: Mr. Vice-Chairman, Sir, if you so desire, I can place these papers on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN: No. no; you can send them to him

RE: NEED TO PROVIDE RAILWAY WAGONS FOR TRANSPORTATION OF LIMESTONE IN RAJASTHAN

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गेज कनवर्शन का कार्यक्रम चल रहा था तो एक आशा पैदा हुई थी कि अब जो मिनरल रिसोर्सेज़ राजस्थान के हैं उनकी जो ऑल इंडिया मार्किट है उसकी अवेलेबिलिटी और वहां पर उन चीज़ों को पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। यह बहुत जरूरी है कि इसके लिए रेल वेंगस प्राप्त हों, समय पर प्राप्त हों और पर्याप्त संख्या में प्राप्त हों। मैं यहां पर केस उपस्थित कर रहा हूं जैसलमेर और गोटण का जो जोधपुर डिवीज़न के पास है वहां पर स्टील ग्रेड का लाइम स्टोन निकलता है। स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया और टाटा स्टील को उन्होंने करीब 50 हजार टन लाइम स्टोन देने का फैसला किया है। दो रैक रोज़ वहां से भर कर जाते हैं। पिछले 15 दिनों से रेलवे ने वह रैक देना बंद कर दिया है। इसके कारण वहां के मजदूरों को कष्ट है। वहां पर खनन का काम भी रुक गया है। राजस्थान राज्य खनिज निगम का कंट्रेक्ट है वहां माल पहुंचाने का, इससे उसमें भी बाधाएं उपस्थित होंगी। मैं यह चाहता हूं कि रेल मंत्री इस बात की कोशिश करें और खास तौर पर जब वह इकोनोमी प्वांइट ऑफ विद्युत सामने रख कर वेंगस की खरीद और बनाने के सवाल को जोड़ते हैं तो वह जरूरी है कि इन वेंगस की अवेलेबिलिटी का सवाल भी इसके साथ जोड़ा जाए। जैसलमेर से रामगढ़ तक 64 किलोमीटर रेल लाइन अगर बिछा दी जाए तो लाइम स्टोन की ढुलाई में बहुत मदद मिल सकती है। मैं